HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13998/2025

1. Paras Dassani S/o Shri Jyantilal Dassani, Aged About 43 Years, R/o Flat No. 203, Second Floor, Chordiya City, Jaipur.
2. Deepak Khawar S/o Shri Dharmchand Khawar, Aged About 39 Years, R/o 265/266, Flat No. 308, Wonder Home Tower, Ajmer Road, Jaipur.

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pallav Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP Mr. D.K. Dixit

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

15/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– विश्वकर्मा, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 284/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पारस दस्साणी को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवादी के साथ लंबे समय तक व्यापारिक संबंध रहे हैं और व्यापारिक संबंध परिवाद प्रस्तुत करने के उपरांत भी निरंतरता में जारी रहे हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादी के मध्य बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं। उनका तर्क है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी और संबंधित

अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। प्रकरण में आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है और इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त का गीतांजली हॉस्पीटल, भांकरोटा में हृदय संबंधी उपचार हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त अभी भी अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य संव्यवहार सिविल मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.02.2026 को वैकेट कर दिया गया था। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से 30 लाख रुपये की कच्ची ऊन बरामद की जानी है तथा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी की कच्ची ऊन अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर खुर्द–बुर्द किए जाने के आरोप हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

बहस सुनी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया था और उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित भी हो गया। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में तथ्यों से यह प्रकट हुआ है कि पूर्व में भी प्रार्थी/अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य परस्पर संव्यवहार चलता रहा है। अतः प्रकरण के अन्य गुणावगुणों पर टिप्पणी किए बिना मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **पारस दस्साणी पुत्र जयंतीलाल दस्साणी** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना– विश्वकर्मा, जिला– जयपुर (पश्चिम) को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दीपक खवार के संदर्भ में उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रभावशून्य हो चुका है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के उक्त कथन के आधार पर उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक खवार पुत्र धर्मचंद खवार** की सीमा तक प्रभावशून्य होने से निस्तारित किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 67